**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 2043

उत्‍तर देने की तारीख : 28 जुलाई, 2014

**अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए बिहार को निधि दिया जाना**

**2043. श्री गुलाम रसूल बलियावीः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए बिहार सरकार को कितनी निधि दी गई है;

(ख) क्या दी गई धनराशि अपर्याप्त थी; और

(ग) यदि हां, तो निधि को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्रीमती स्‍मृति ज़ूबिन इरानी)**

(क) से (ग): मदरसों में गुणवत्‍तायुक्‍त शिक्षा-योजना (एसपीक्‍यूईएम), जिसका उद्देश्‍य मदरसा पाठ्यचर्या में आधुनिक विषयों की शुरूआत करना और राष्‍ट्रीय पाठ्यचर्या मानकों को पूरा करने के लिए मदरसों को सहायता प्रदान करना है, के अंतर्गत वर्ष 2012-13 में बिहार को 0.56 करोड़ रूपए दिए गए थे। वर्ष 2011-12 में एसपीक्‍यूईएम के अंतर्गत बिहार द्वारा कोई निधि नहीं मांगी गई थी। वर्ष 2013-14 में 1127 मदरसों हेतु बिहार के लिए 30.81 करोड़ रूपए मंजूर किए गए थे परन्‍तु, यह राशि राज्‍य सरकार की ओर से अपेक्षित बजट प्रावधान संबंधी सूचना प्राप्‍त न होने के कारण जारी नहीं की जा सकी।

 बिहार को अल्‍पसंख्‍यक संस्‍थान अवसंरचना विकास (आईडीएमआई) के अन्‍तर्गत आज की तारीख तक कोई राशि जारी नहीं की गई है क्‍योंकि, इसके लिए राज्‍य सरकार से कोई भी प्रस्‍ताव प्राप्‍त नहीं हुआ है।

 सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत स्‍कूल अवसंरचना विकास के लिए अल्‍पसंख्‍यकबहुल जिलों (एमसीडी) को प्रमुखता के आधार पर निधि आवंटित की जाती है। एसएसए के तहत बिहार सरकार को गत तीन वर्षों और चालू वर्ष में जारी की गई निधि क्रमश: 1851.08 करोड़ (2011-12), 2754.62 करोड़ (2012-13), 2610.13 करोड़ (2013-14) और 733.03 करोड़ रूपए (2014-15 में आज की तारीख तक) है, जिसमें अल्‍पसंख्‍यकों की शिक्षा के लिए निर्धारित की गई निधि भी शामिल है।

\*\*\*\*\*